






























GS मेन्स एडवांस कोर्स 2024





ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़

- ✓ भूगोल
 ✓ समाजशास्त्र
- ✓ दर्शनशास्त्र
- √ राजनीति विज्ञान एवं

 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

14 जुलाई







1.	आरक्षण (Reservation) 4
2.	नागरिकता (Citizenship) 4
3.	हेट स्पीच (Hate Speech) 6
4.	अनुच्छेद 142 (Article 142) 6
5.	समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) 7
6.	नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) 7
7.	परिसीमन (Delimitation)
8.	सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) 8
9.	राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) 8
10.	अंतर्राज्यीय जल विवाद (Inter State Water Disputes: ISWDs)
11.	राज्यपाल (Governor) 9
12.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (National Capital Territory of Delhi)
13.	एक राष्ट्र एक भाषा (One Nation One Language) 10
14.	संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) 10
15.	अध्यक्ष का पद (Office of Speaker) 10
16.	दल-बदल रोधी कानून (Anti- Defection Law) 11

17.	प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation) 1
18.	न्यायपालिका (Judiciary)
19.	अधिकरण (Tribunal)12
20.	जेल सुधार (Prison Reform)
21.	राजनीतिक दल का आंतरिक लोकतंत्र (Inner Party Democracy)
22.	राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics) . 13
23.	नगरपालिका चुनाव (Municipal Elections) 14
24.	सेंसरशिप (Censorship)
25.	पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण (Constitutionalization of Environmental Issues)
26.	मंदिरों का विनियमन (Temple Regulation) 15
27.	पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति (Finances of Panchayati Raj Institutions)
28.	नारी शक्ति वंदन {संविधान (१०६वां संविधान संशोधन)} अधिनियम, २०२३ [Nari Shakti Vandan {Constitution (१०६th Amendment)} Act, २०२३]
29.	इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdown) 16

प्रिय अभ्यर्थियों,



UPSC मुख्य परीक्षा के प्रतिस्पर्धी माहौल में आपके **उत्तरों में डेटा, तथ्यों और उदाहरणों को शामिल करने के महत्त्व को कम करके नहीं आंका** जा सकता है।



ये तत्व एक आकर्षक और प्रेरक अनुक्रिया के आधार के रूप में काम करते हैं, **जो आपके उत्तर को एक सामान्य लेखन से एक बेहतर तरीके से प्रमाणित तर्क की ओर ले जाते हैं।**



आपकी सहायता के लिए, हमने **VisionIAS मेन्स 365 पठन सामग्री से सार रूप में डेटा, तथ्यों और उदाहरणों का संकलन तैयार किया है।** जैसा कि आप सभी को पता है VisionIAS मेन्स 365 पठन सामग्री करंट अफेयर्स के व्यापक कवरेज के लिए प्रसिद्ध है। यह दस्तावेज़ उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा, तथ्यों और उदाहरणों का एक केंद्रित स्रोत प्रदान करता है।



इस दस्तावेज़ का लेआउट आपके **उत्तर में क्विक रेफ़्रेन्स और तथ्यों आदि के आसान समेकन के लिए डिज़ाइन** किया गया है।



इस सार रूपी जानकारी का लाभ उठाने से **आपको अधिक अंक प्राप्त करने के लिए जरूरी व्यापक,** सूचनात्मक और आकर्षक उत्तर तैयार करने में मदद मिलेगी।




मेन्स ३६५ डाक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए दिए गए OR कोड को स्कैन कीजिए

स्मार्ट क्वालिटी कंटेंट को प्राप्त करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए











आरक्षण (Reservation)

🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- 💠 अनुच्छेद 15(4): सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs), SCs और STs के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण।
- 💠 **अनुच्छेद १५(६) और १६(६):** शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में EWS के लिए १०% आरक्षण। (१०३वां संशोधन अधिनियम २०१९)।
- 💠 अनुच्छेद 16(4), 16(4α) और 16(4b): पदों और सेवाओं में आरक्षण की सुविधा।
- अनुच्छेद 46: राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा।
- 💠 अनुच्छेद २४३D के तहत प्रत्येक **पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों** के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- 💠 अनुच्छेद ३३० लोक सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- 💠 अनुच्छेद ३३२, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

🥑 न्यायिक निर्णय/ सिफारिशें

- डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ वाद (1984): "सन्स ऑफ द सॉयल" के लिए कानून बनाना असंवैधानिक होगा, लेकिन इस पर स्पष्ट रूप से कोई निर्णय नहीं दिया गया।
- 💠 इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ वाद (१९९२)
 - अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण पर 50% की सीमा तय की थी।
 - पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
 - पिछडे वर्ग को क्रीमी लेयर के लाभ से बाहर किया जाना चाहिए।
- एम. नागराज बनाम भारत संघ वाद (2006): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नित में आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया, जिनमें निम्निलेखित तीन शर्तों को शामिल किया गया है।
 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछडे़पन पर मात्रात्मक डेटा।
 - उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित तथ्य।
 - समग्र प्रशासनिक दक्षता।
- 💠 **राम सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ वाद (२०१५):** सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों की गैर-जाति आधारित पहचान की आवश्यकता का सुझाव दिया।
- जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य वाद (2018): सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के लिए SCs और STs के पिछड़ेपन को दर्शाने हेतु मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता को रद्द कर दिया।
- ◇ जनिहत अभियान बनाम भारत संघ वाद (२०२२): सुप्रीम कोर्ट ने १०३वें संविधान संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा। यह अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है।




नागरिकता (Citizenship)

- अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता।
- 💠 **अनुच्छेद ६:** पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन/ प्रवास करने वाले करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
- 💠 **अनुच्छेद ७:** पाकिस्तान को प्रव्रजन/ प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।



- ♦ अनुच्छेद 8: भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
- 💠 अनुच्छेद 9: किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।
- अनुच्छेद 10: नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।
- 💠 अनुच्छेद 11: संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को कानून के माध्यम से विनियमित किया जाना।











हेट स्पीच (Hate Speech)

🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- 💠 अनुच्छेद १९(२): इसके तहत लोक व्यवस्था, अपराध के लिए उकसावे और राज्य की सुरक्षा के आधार पर घृणास्पद भाषण पर रोक लगाई गई है।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 {धारा 353(2)}: विभिन्न धार्मिक समूहों आदि के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना फ़ैलाने के लिए कारावास (तीन वर्ष तक की अविध तक कारावास, या जुर्माना, या दोनों) का दंड दिया जाएगा।
- onder प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 8): यह ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है, जो वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दुरुपयोग का दोषी पाए गए हों।
- o नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (धारा ७): अस्पृश्यता को बढ़ावा देने पर दंड का प्रावधान करता है।

🥑 न्यायिक निर्णय/ सिफारिशें


- प्रवासी भलाई संगठन बनाम यू.ओ.आई. और अन्य वाद (2014): न्यायालय ने घृणास्पद भाषण से नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना को स्वीकार किया और इस मामले को गहन जांच के लिए विधि आयोग को भेज दिया।
- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद (2015): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध केवल तभी लगाए जा सकते हैं जब इससे हिंसा भड़के या सार्वजनिक अव्यवस्था फैले।
- अमीश देवगन बनाम भारत संघ वाद (2020): सुप्रीम कोर्ट ने भाषण की स्वतंत्रता के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने और घृणा एवं सांप्रदायिक वैमनस्य को फैलने से रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।



अनुच्छेद 142 (Article 142)

- भंवरी देवी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य वाद (2002) में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए "विशाखा दिशा– निर्देश" जारी किए थे। इसके परिणामस्वरूप, अंततः "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013" बनाया गया था।
- विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य वाद (2020) में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों के सहदायिक/ समान उत्तराधिकार (Coparcener) संबंधी अधिकारों पर परस्पर विरोधी निर्णयों का समाधान किया था।
- सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पूनिया वाद (2020) में, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन आर्मी में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्णय दिया था।
- 💠 **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद (१९९२):** आरक्षण के लिए ५०% की अधिकतम सीमा तय की गई और क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की गई।









समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)

🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

💠 अनुच्छेद ४४: राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) प्रदान करने का प्रयास करेगा।

🥑 न्यायिक निर्णय/ सिफारिशें

- 💠 **शाह बानो वाद (१९८५):** सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों के बीच UCC की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- पाउलो कॉिटन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा (२०१९): सुप्रीम कोर्ट ने समान व्यवस्था रखने के लिए समान कानूनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- ♦ विधि आयोग (2018): अब UCC की जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा कानूनों में संशोधन करने की जरूरत है।



नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)

🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- 💠 इसे **प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, १९५१ द्वारा एक नया अनुच्छेद ३१८** सम्मिलित करके संविधान में जोड़ा गया था।
- अनुच्छेद 31B में कहा गया है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी अधिनियम/ विनियम को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वे किसी संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं।

🥑 न्यायिक निर्णय/ सिफारिशें


- वामन राव बनाम भारत संघ वाद, 1981: इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में 24 अप्रैल, 1973 से पहले किए गए संशोधन वैध हैं। यह फैसला केशवानंद भारती के निर्णय और मूल ढांचे के सिद्धांत के विकास के अनुरुप था।
- आई. आर. कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य वाद, 2007: नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस वाद में निर्णय दिया था कि नौवीं अनुसूची को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन इसे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।



परिसीमन (Delimitation)

- 💠 **अनुच्छेद ८२:** इसके तहत, संसद को **प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम** पारित करके परिसीमन आयोग का गठन करना चाहिए।
- अनुच्छेद १७०: इसके तहत, राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया
 जाना चाहिए।









सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)

🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- ◇ 7वीं अनुसूची: इसमें संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची दी गई है।
- अनुच्छेद 312: यह अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है।
- 💠 अनुच्छेद २६३: इसमें केंद्र व राज्यों के साझा हितों पर चर्चा करने हेतु अंतर-राज्य परिषद का प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 280: इसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग संघ व राज्यों के बीच राजस्व के वितरण के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिशें करता है।



राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism)

🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा


- सातवीं अनुसूची: संघ और राज्य सूची में कर आधारों का उल्लेख (अनुच्छेद 246)
- 💠 राजस्व का विभाजन
 - अनुच्छेद 269: संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, लेकिन पूरी तरह से राज्यों को सौंपे जाने वाले कर।
 - ◆ अनुच्छेद-269A: अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वसूला जाने वाला वस्तु और सेवा कर।
 - 🔸 **अनुच्छेद २७०:** संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, लेकिन वित्त आयोग की अनुशंसा पर वितरित किए जाने वाले कर।
- 💠 **अनुच्छेद २७५:** केंद्र के राजस्व से राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है।
- \land ऋणः
 - अनुच्छेद 292: केंद्र सरकार के पास देश के अंदर (घरेलू स्रोतों से) या बाहर से धन उधार लेने की शक्ति है।
 - अनुच्छेद 293: राज्य सरकारें केवल घरेलू स्रोतों से (विदेश से नहीं) ही ऋण ले सकती हैं।
- 💠 **अनुच्छेद २८०:** संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।



अंतर्राज्यीय जल विवाद (Inter State Water Disputes: ISWDs)

- सातवीं अनुसूची: जल राज्य सूची (प्रविष्टि १७) का विषय है तथा संघ सरकार की संवैधानिक भूमिका केवल अंतर-राज्यीय जल (प्रविष्टि ५६, संघ सूची) के मामले में है।
- 💠 अनुच्छेद २६२: संसद के पास अंतर्राज्यीय जल विवादों (ISWDs) के निर्णय के लिए कानून बनाने का अधिकार है।
- राष्ट्रीय जल नीति 2012: जल की अभावग्रस्तता, वितरण संबंधी असमानताओं का समाधान करना और जल संसाधनों की एकीकृत योजना को लागू करना।









 संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने सभी अंतर्राज्यीय निदयों को विनियमित, विकसित और नियंत्रित करने के लिए नदी बोर्डों के गठन और उनके अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने की सिफारिश की।



🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- अनुच्छेद 163: राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। हालांकि, कुछ मामलों में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है।
- ♦ अनुच्छेद 200: किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल से सहमति लेना अनिवार्य है।


🥑 न्यायिक निर्णय/ सिफारिशें

- नबाम रेबिया वाद (2016): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि यदि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से परे अपने विवेक का प्रयोग करता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
- पंजाब राज्य वाद (2023): यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमित रोकने का निर्णय लेता है, तो राज्यपाल को उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजना पडेगा। ऐसे विधेयक को राज्यपाल के पास अनिश्चितकाल तक नहीं रखा जा सकता है।
- तमिलनाडु राज्यपाल वाद (2023): सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्यपाल राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्य विधान-मंडल उस विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है, तब राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है।
- सरकारिया आयोग: गवर्नर को राष्ट्रपति के एजेंट की भांति कार्य नहीं करना चाहिए, उन्हें केवल असंवैधानिकता जैसे दुर्लभ मामलों के तहत ही राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना चाहिए।
- 💠 पुं<mark>छी आयोग:</mark> राज्यपाल का **कार्यकाल पांच वर्ष** के लिए सुनिश्चित होना चाहिए। राज्यपाल को उसकी सहमति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत विधेयक के संबंध में **छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए।**



- 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 239AA ने दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया (एस. बालाकृष्णन समिति की सिफारिशों पर)।
 - इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक प्रशासक और एक विधान सभा होगी।
 - विधान सभा को पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि के विषयों को छोड़कर राज्य सूची या समवर्ती सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी।
 - किसी विषय पर उपराज्यपाल (LG) और उनके मंत्रियों के बीच **मतभेद की स्थिति में, LG विषय को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे।**









एक राष्ट्र एक भाषा (One Nation One Language)

🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा (Official language of India) के रूप में स्वीकार किया गया।
- राजभाषा अधिनियम (Official Languages Act), 1963 में यह प्रावधान किया गया कि आधिकारिक संचार (Official Communication) के लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का भी उपयोग किया जा सकता है।



संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges)

🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- 🌣 संसद/ राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों और उसके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार (अनुच्छेद १०५, अनुच्छेद १९४)।
- **कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार** (अनुच्छेद १०५(२), अनुच्छेद १९४(२)}।
- ♦ अनुच्छेद 121 सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है।

🥑 न्यायिक निर्णय/ सिफारिशें

- पी.वी. नरसिम्हा राव वाद: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि विधायिका के सदस्यों को उन सभी सिविल और आपराधिक कार्यवाहियों के मामले में प्रतिरक्षा के व्यापक संरक्षण की आवश्यकता है, जो उनके भाषण या वोट से संबंधित हैं।
- **एम. एस. एम. शर्मा वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जब भी भाग V, अनुच्छेद १९४(३) (विशेषाधिकार) के प्रावधान और भाग III द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा होगी, तो मौलिक अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।



अध्यक्ष का पद (Office of Speaker)


🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- अनुच्छेद 93: लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान।
- अनुच्छेद ९४: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग और पद से हटाना।
- 💠 **अनुच्छेद ९६:** जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब वह पीठासीन नहीं होगा।

🥑 न्यायिक निर्णय/ सिफारिशें

 नबाम रेबिया वाद (2016): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का नोटिस दिया गया है, तो उसे विधायकों / सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।









दल-बदल रोधी कानून (Anti- Defection Law)

🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- 💠 ५२वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९८५.
- दसवीं अनुसूची को दल-बदल रोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है।

🥑 न्यायिक निर्णय/ सिफारिशें

- ♦ **किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिलु और अन्य वाद (1992):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, लेकिन न्यायिक समीक्षा अध्यक्ष/ सभापति द्वारा निर्णय लेने से पहले के चरण में लागू नहीं हो सकती है।
- कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष, मणिपुर विधान सभा वाद (२०२०): सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता वाली याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा तीन महीनों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए।
- "शासन में नैतिकता" शीर्षक वाली प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की दूसरी रिपोर्ट और अलग-अलग अन्य विशेषज्ञ समितियों ने सिफारिश की थी कि दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता के मुद्दे के संबंध में चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/ राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।



प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation)

🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- केरल राज्य विद्युत बोर्ड वाद: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों सिहत किसी प्रत्यायोजित विधान के जिएए उस संसदीय कानून को प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए जिससे वह शक्ति प्राप्त करता है, बल्कि इसे मूल कानून का पूरक होना चाहिए।
- विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ (विमुद्रीकरण संबंधी वाद), 2016: सुप्रीम कोर्ट ने विमुद्रीकरण पर केंद्र के 2016 के फैसले को बरकरार रखते हुए प्रत्यायोजित विधान की वैधता को यथावत रखा।
- ♦ **डी. एस. गरेवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य वाद (१९५९):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत के संविधान का **अनुच्छेद ३१२** प्रत्यायोजित विधान की शक्तियों से संबंधित है।



न्यायपालिका (Judiciary)

- अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के खिलाफ संरक्षण का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 22 (कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार)।
- 🌣 **लंबित मामले:** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार अकेले सुप्रीम कोर्ट में 85,000 से अधिक मामले लंबित हैं।
- **न्यायपालिका में महिला जज:** न्यायपालिका की स्थिति रिपोर्ट, २०२३ के अनुसार हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में क्रमशः १३.४% और ९.३% महिला जज हैं।





- **न्यायिक नियक्ति:** राष्ट्रपति देश के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श (जैसा कि वह आवश्यक समझे) के बाद सुप्रीमें कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा (अनुच्छेद १२४)।
- **सुप्रीम कोर्ट की पीठ से जुडा संवैधानिक प्रावधान:** संविधान के अनुच्छेद १३० में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में स्थापित होगा, जिसे या जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की अनुमति से समय-समय पर निर्धारित करे।
- **न्यायिक जवाबदेही:** अनुच्छेद २३५ के तहत, संविधान अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय के 'नियंत्रण' का प्रावधान करता है। यह अधीनस्थ न्यायपालिका पर जवाबंदेही को लागू करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के प्रावधान को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
- 💠 **निःशुल्क कानूनी सहायता (अनुच्छेद ३९४):** राज्य को समान अवसर के साथ न्याय सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान भी शांमिल हो।

न्यायिक निर्णय/ सिफारिशें

- 💠 फर्स्ट जजेज़ केस, १९८१ या एस. पी. गुप्ता मामला: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश को "ठोस कारणों" के आधार पर अस्वीकार कर सकता है। इस तरह इस मामले में कार्यपालिका को अधिक अधिकार प्राप्त हए।
- सेकंड जजेज़ केस, 1993 {सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCARA) बनाम भारत संघ}: भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर केवल दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने की आवश्यकता है।
- 💠 **थर्ड जजेज़ केस, १९९८:** भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर अपनी राय बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए।



अधिकरण (Tribunal)

• संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- **अनुच्छेद 323A:** यह **संसद को** लोक सेवकों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए **प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है।** संसद केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर अधिकरणों का गठन कर सकती है।
- **अनुच्छेद 323B:** इसके तहत अन्य विषयों **(जैसे- कराधान, भूमि सुधार आदि)** के लिए अधिकरणों की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन विषयों के लिए **संसद या राज्य विधान-मंडल** कानून बनाकर अधिकरणों का गठन कर सकते हैं।
 - 🔸 **२०१० में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद ३२३४** के तहत निर्धारित विषयों पर केवल संसद का ही अनन्य अधिकार नहीं हैं। राज्य विधान-मंडल संविधान की **सातवीं अनुसूची** में उल्लिखित उनके अधिकार-क्षेत्र के अधीन आने वाले किसी भी विषय पर **अधिकरण का गठन कर** सकते हैं।

न्यायिक निर्णय/ सिफारिशें


कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर स्थायी समिति (२०१५) ने भारत में सभी अधिकरणों के प्रशासन के लिए **राष्ट्रीय अधिकरण आयोग** (NTC) नामक एक स्वतंत्र निकाय के निर्माण की सिफारिश की थी।



जेल सुधार (Prison Reform)

- 💠 **कुल कैदी:** लगभग ५.७३ लाख, जेल की क्षमता लगभग ४.३६ लाख (जेल सांख्यिकी भारत, २०२२)।
- 💠 **जेलों में क्षमता से अधिक कैदी:** कुल कैदियों में ७७.१% विचाराधीन कैदी हैं (जेल सांख्यिकी भारत, २०२२)







- 💠 **कर्मचारियों की कमी:** जेलों में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से लगभग 30 प्रतिशत कम है।
- महिला कर्मचारियों का कम प्रतिनिधित्व: जेल के कुल कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या केवल 13.77% है।
- जेल बजट: जेल बजट का केवल 0.6 प्रतिशत ही कैदियों के व्यावसायिक/ शैक्षिक प्रशिक्षण पर और मात्र 1 प्रतिशत उनके कल्याण से संबंधित गतिविधियों पर खर्च किया जाता है।

🥑 न्यायिक निर्णय/ सिफारिशें

- गृह मामलों पर संसदीय समिति की सिफारिशें:
 - "गरीब कैदियों के लिए सहायता कार्यक्रम" का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
 - जमानत पर छूटे कैदियों की निगरानी करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए ट्रैक किए जा सकने वाले ब्रेसलेट जैसे उपकरणों की मदद ली जा सकती है।
- 💠 जेल सुधार पर मुल्ला समिति, १९८०
 - **भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा** नामक एक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने की आवश्यकता है।
 - प्रेस और अन्य लोगों को समय-समय पर जेलों के अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।



राजनीतिक दल का आंतरिक लोकतंत्र (Inner Party Democracy)

🥑 न्यायिक निर्णय/ सिफारिशें


- दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति जैसी समितियों ने देश में राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने की सिफारिश की है।
- राजनीतिक दल (पंजीकरण और कार्यप्रणाली का विनियमन) विधेयक, 2011 का प्रारुप: इस विधेयक का उद्देश्य चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संविधान, कामकाज, वित्त पोषण, खातों और लेखा परीक्षा तथा अन्य मामलों को विनियमित करना था।



राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics)

- भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाद (2002): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के जीवन से जुड़े कानूनी मामलों के बारे में जानने का मूल अधिकार प्राप्त है।
- पीपुल्स यूनियन फाँर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ वाद (2004): सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33B को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया था। यह धारा उम्मीदवारों को केवल इस अधिनियम के तहत ही जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करती थी।
- लि**ली थॉमस बनाम भारत संघ वाद (२०१३):** सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (१९५१) की **धारा ८(४)** को असंवैधानिक घोषित कर दिया
 था।
 - इससे पहले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) की धारा 8(4) के तहत किसी मामले में दोषी ठहराया गए सांसद/ विधायक को अपनी दोषसिद्धि
 के निर्णय के खिलाफ की गई अपील का निपटान होने तक पद पर बने रहने की अनुमति मिली हुई थी। उन्हें न्यायालय से सजा प्राप्त होने के तीन
 माह के भीतर उच्चतर न्यायपालिका में अपील करने की अनुमति दी गई थी, तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते थे।
- पिक्क इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ वाद (2018): सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड्स को अपनी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया हैंडल्स और समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने का आदेश दिया था।









नगरपालिका चुनाव (Municipal Elections)

🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- o नगरपालिकाओं की संरचना (अनुच्छेद 243R): नगरपालिकाओं की सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चयनित व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी।
- सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243T): इसमें संबंधित नगरपालिका अधिनियमों के अनुसार पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य समूहों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।
- 💠 **नगरपालिकाओं का कार्यकाल (अनुच्छेद २४३७):** प्रत्येक नगरपालिका अपने **प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तारीख से पांच वर्ष** तक बनी रहेगी।
- राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243ZA): यह नगरपालिकाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करता है। साथ ही, नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है।



सेंसरशिप (Censorship)

🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम: ये नियम डिजिटल मीडिया जैसे- सोशल मीडिया मध्यवर्तियों, ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स आदि पर प्रसारित सामग्री को विनियमित करते हैं।
- केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995: इसके तहत समाचार प्रसारणकर्ता संघ और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर टेलीविजन पर कार्यक्रमों के प्रसारण को विनियमित किया जाता है।
- 🌣 केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CFBC): फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है।
- 💠 **भारतीय प्रेस परिषद (PCI):** समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों के अनुपालन एवं उनमें सुधारों को लागू करता है।

T

पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण (Constitutionalization of Environmental Issues)

- मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद, (1978): इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रोग और संक्रमण के खतरे से मुक्त वातावरण का अधिकार अनुच्छेद
 21 में निहित है। कोर्ट ने कहा कि रोग और संक्रमण से मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार जीवन के अधिकार का एक आवश्यक हिस्सा है, और इसे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
- रुरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद, (1988): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के हिस्से के रूप में स्वस्थ वातावरण यानी बेहतर पर्यावरण में रहने के अधिकार को मान्यता दी थी।
- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद (1987): संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा माना गया है।
- वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ वाद (1996): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि "एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle)"
 और "प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत (Polluter Pays Principle)" वस्तुतः "संधारणीय विकास" की अनिवार्य विशेषताएं हैं।









मंदिरों का विनियमन (Temple Regulation)

🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- अनुखेद 25(1): यह अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुखेद 25(2): यह अनुच्छेद कुछ धार्मिक मामलों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप को वैधता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धार्मिक आचरण से जुड़े क्रियाकलापों के विनियमन के लिए कानून बना सकता है या धार्मिक संस्थानों को विनियमित कर सकता है।
- अनुच्छेद 26: यह अनुच्छेद धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि, ये धार्मिक कार्य लोक व्यवस्था, नैतिकता और लोक स्वास्थ्य के अधीन ही संपन्न किए जा सकते हैं।
- अनुसूची VII के तहत सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 28: यह प्रविष्टि संघ और राज्य विधान-मंडल, दोनों को "धर्मार्थ कार्यों और धर्मार्थ संस्थाओं, धर्मार्थ एवं धार्मिक बंदोबस्ती (Charitable and religious endowments) तथा धार्मिक संस्थाओं" पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है।


🥑 न्यायिक निर्णय/ सिफारिशें

- शेषम्मल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (1972) मामला: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी मंदिर में अर्चक (पुजारी) की नियुक्ति एक धर्मिनरपेक्ष कार्य है तथा इन पुजारियों (अर्चकों) द्वारा किए जाने वाले केवल धार्मिक अनुष्ठान ही धर्म का अभिन्न हिस्सा हैं।
- **केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर वाद, (2020):** सुप्रीम कोर्ट ने केरल में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर से संबंधित संपत्तियों पर पूर्ववर्ती त्रावणकोर शाही परिवार को **शेबैतशिप (Shebaitship) अधिकार (मंदिर के प्रबंधन का अधिकार)** प्रदान किया था।

पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति (Finances of Panchayati Raj Institutions)

- 💠 **अनुच्छेद २४३भ:** राज्य का विधान-मंडल कानून बनाकर राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान का प्रावधान कर सकता है।
 - 🔷 यह पंचायतों को **कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, उसे एकत्र करने एवं आवंटित** करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 243-1: इसमें यह प्रावधान किया गया है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें करने हेतु हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा।
- अनुच्छेद 280(3)(bb): केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्य में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु
 आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति से सिफारिश करे।










नारी शक्ति वंदन {संविधान (१०६वां संविधान संशोधन)} अधिनियम, २०२३ [Nari Shakti Vandan {Constitution (१०६th Amendment)} Act, २०२३]

🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- अनुच्छेद 330A और अनुच्छेद 332A को जोड़ा गया है: इसमें लोक सभा, राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान करना है।
 - इसमें अनुच्छेद ३३० और ३३२ के तहत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण भी शामिल है।
- ♦ अनुच्छेद २३९४४: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं (अनुसूचित जाति सहित) को एक-तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान करना है।
- 💠 संविधान में निम्नलिखित नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया है:
- अनुच्छेद 334A: महिलाओं के लिए आरक्षण इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो पहली जनगणना आयोजित होगी, उसके आधार पर परिसीमन
 प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा।
 - महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का आवधिक रोटेशन प्रत्येक आगामी परिसीमन के बाद किया जाएगा।
 - ◆ इस अधिनियम के उपबंध **मौजूदा विधान सभाओं और लोक सभा के विघटन तक किसी भी प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेंगे।**




🥑 संवैधानिक प्रावधान/ डेटा

- वर्तमान में, इसे इंटरनेट शटडाउन सिंहत दूरसंचार सेवाओं का निलंबन "भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885" के तहत अधिसूचित दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 द्वारा शासित किया जाता है।
 - 🔸 ये नियम एक क्षेत्र में **पब्लिक इमरजेंसी के आधार पर** एक बार में 15 दिनों तक **दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति** देते हैं।
- 💠 दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन के आदेश केवल संघ/ राज्य **गृह सचिव** द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं।

- अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ वाद (2020): सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कि इंटरनेट की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(α) का भाग है, जिस पर अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंध स्वीकार्य हैं। इस संदर्भ में न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किए थे:
 - इंटरनेट का निलंबन केवल अस्थायी अविध के लिए ही किया जा सकता है।
 - इंटरनेट को निलंबित करने का कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।
- फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर वाद (2020): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार्य किया कि अभिव्यक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवसाय के अधिकारों व राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मध्य संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।
- 💠 संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर एक नज़र:
 - इंटरनेट शटडाउन के औचित्य का मुल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।
 - दूरसंचार विभाग (Dot) को जनता को कम-से-कम असुविधा पहुंचाने और गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने हेतु समग्र रूप से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के बजाय **ओवर-द-टॉप (ОТТ)** सेवाओं के उपयोग पर चयनित रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए एक नीति बनानी चाहिए।







Foundation Course GENERAL STUDIES PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 29 JULY, 1 PM | 30 JULY, 9 AM | 31 JULY, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 19 JULY, 8:30 AM | 23 JULY, 5:30 PM

AHMEDABAD: 12 JULY

BENGALURU: 12 & 18 JULY

BHOPAL: 18 JULY

CHANDIGARH: 18 JULY

HYDERABAD: 24 JULY

JAIPUR: 30 JULY

JODHPUR: 11 JULY

LUCKNOW: 17 JULY

PUNE: 5 JULY

प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 18 जुलाई, 1 PM

BHOPAL: 23 जुलाई

LUCKNOW: 18 जुलाई || JAIPUR: 25 जुलाई

JODHPUR: 11 जुलाई







Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.







